प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक २० सितम्बर, 2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु **लागतवृद्धि** की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-जी०आई० 143/52-01-2010-03(03)/10, दिनांक 02.07.2010 द्वारा जनपद-मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन 137 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु **यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि० लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू० 2.95 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू० 202.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

2- उपरोक्त धनराशि एवं शासनादेश संख्या-446/52-1-2014-03(03)/10 दिनांक 10.04.2014 द्वारा अवमुक्त रू० 202.07 लाख के सापेक्ष कुल 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा किया गया । शेष 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बारे में लागतवृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का पी०एफ०ए०डी० द्वारा परीक्षण करते हुए रू० 4.26 लाख इकाई लागत की संस्तुति करते हुए कुल 37 केन्द्रों के सापेक्ष रू० 48.87 लाख की लागतवृद्धि की धनराशि की संस्तुति की गयी है ।

2- अतः उपरोक्त 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा अनुमोदित इकाई लागत के अनुसार कार्य करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तदनुसार लागतवृद्धि की धनराशि रू0 48,87,000/-(रू0 अड़तालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 3902.88 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त परियोजनाओं हेतु भविष्य में लागतवृद्धि की कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तवत् अनुमोदित लागत से ही प्रश्नगत 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा । इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ एम०ओ०यू० भी हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

3- कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त वैधानिक अनात्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

4- पुनरीक्षित लागत के आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां स्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

5- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

6- प्रायोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-446/52-1-2014-03(03)/10 दिनांक 10.04.2014 द्वारा लगायी गयी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

7- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय -01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (केन्द्रांश-75/रा0-25-के0+रा0)-24 वृहद निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय-1-0बी/2016/1-ज्ञाप संख्या-/746दस में निहित प्राविधानों के अनुसार 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016- जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-1919(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shagunadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ ।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

8- प्रबन्ध निदेशक**, यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि० लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों का गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in